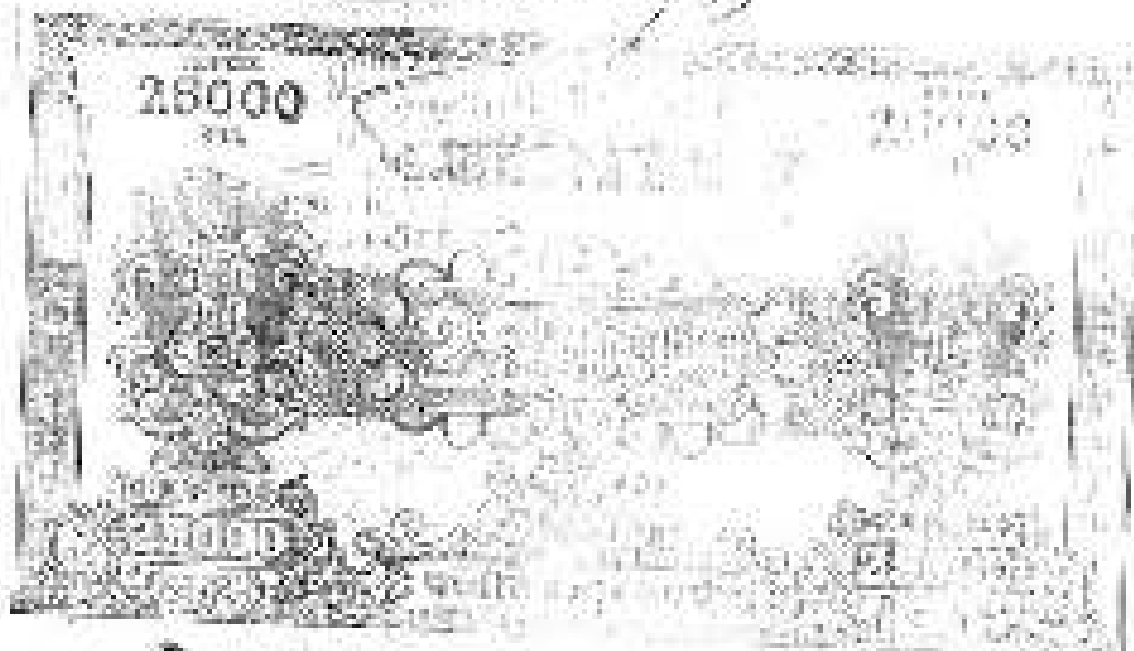




उत्तर प्रदेश



अ.प्र.प्र.



अ.प्र.प्र.



अ.प्र.प्र.

चेकबिलिट

प्रमाण के अनुसार

बिलिट नं.

अ.प्र.प्र. के अनुसार

₹ 10,00,000/-

₹ 5,00,000/-

₹ 1,00,000/-

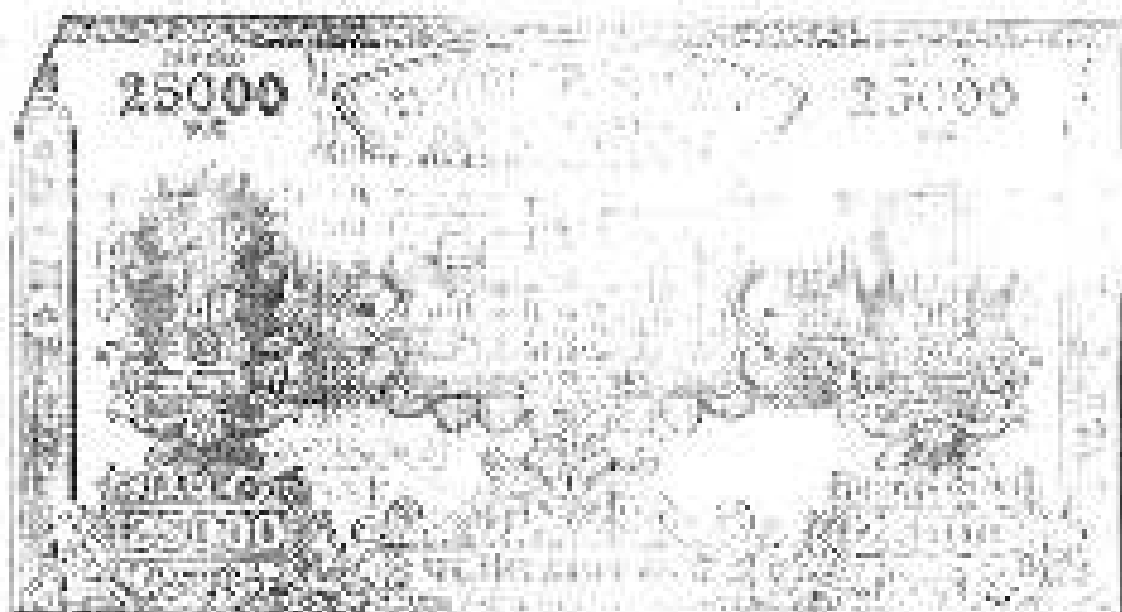
1. अ.प्र.प्र.
2. अ.प्र.प्र.
3. अ.प्र.प्र.
4. अ.प्र.प्र.

अ.प्र.प्र.
अ.प्र.प्र.
अ.प्र.प्र.

अ.प्र.प्र.

अ.प्र.प्र.

अ.प्र.प्र.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



0121 अंशों के
अपने अपने 25 लाख रुपये
के 10 लाख रुपये का प्रताप
विशेष रूप से 0.25 लाख के लिए
कच्चा पैसा दिया जायेगा
कच्चा व लाल काला

1. नकद 25000

रुपये

2. लाल व काला

0.25 लाख

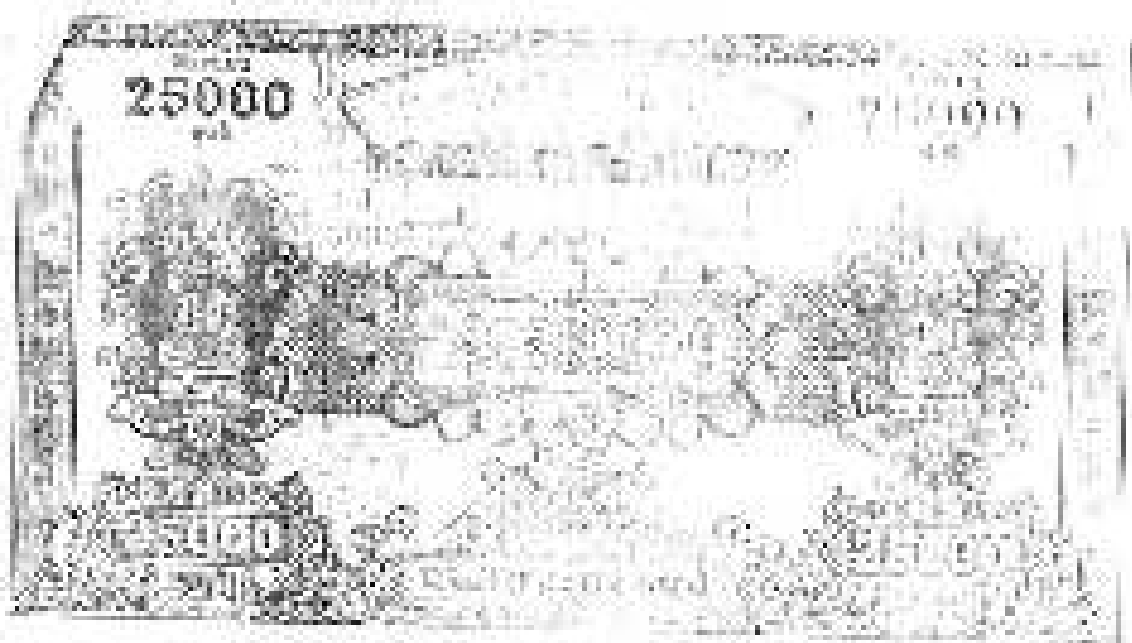
3. लाल व काला

मुद्रास्थिर रूप व अमरकाल के से

25000

25000





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



लगभग 200 मीटर से अधिक

- | | | |
|----|---------------|---------|
| 3 | कमलि का पत्ता | पुल |
| 9 | बड़ी की बियाँ | पुल नदी |
| 10 | बैंगन/पुल नदी | पुल नदी |

पुल नदी/पुल नदी 35 मीटर से अधिक

उत्तर	पुल नदी/पुल नदी 35
दक्षिण	पुल नदी/पुल नदी 35
पुल	पुल नदी/पुल नदी 35
पुल	पुल नदी/पुल नदी 35

27.11.80

12.11.80

12.11.80

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



	बिलिंग, 13, रामा प्रताप मार्ग, लखनऊ
जयराज- कृषि	जयराज- व्यापार/वैकी

०४ विलम विलेज मन्थाल पुन तुला निवासी ग्राम हसनपुर खेसी,
परगना बितनौर, जलसीग व जिला लखनऊ गिरी आगे बिलेला कर गया
हे एवमु अंशत मपटीन एम्ह हन्फादस्वर लि० रजिस्टर्ड अफिस 115,
अंशत भवन, 16, कलवृत्ता राणी मार्ग, ईई दिल्ली-110003, वर्तमान पता
वृत्तीय रत बईपदमपली०००० बिलिंग, 13, रामा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा
अभिदुत इकासरी श्री अभिदुत प्रताप खेसी पुन श्री बेनी प्रताप खेसी

रामा प्रताप

Arch Properties & Inter Estate Ltd
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



वर्तमान द स्वामी पना तृतीय तथा चरदारम 0.10000 बिल्लिंग, 13, पना
पनाम गांव, तहसील विन्ने आगे केता कल गया है के तहत निष्पत्ति
शिया गया।

कल वि विन्नेल मुने खसरा संख्या 35-अ रकबा 0.121 हेक्टेयर
का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 35-अ रकबा 0.133 हेक्टेयर का पूर्ण भाग इस
प्रकार कुल विन्नेल रकबा 0.254 हेक्टेयर स्थित जाम हसनपुर जेल्सी परगना
विन्नेली, तहसील व जिला तहसील का मालिक, कागिल न काबिल है तथा

राम धातु

Grass Properties L. Ltd.

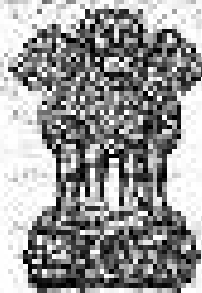
Director of Revenue

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



समस्त रुपये

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

उत्तरांचल गवर्नामन्ट फरमानिक सात खतीना कय संख्य 00214 के अनुसार भूमि विवेका जे नाम नरनामोय भूमिपर के रूप में दर्ज है और विवेका के नाम पर अमल बरामद राखल जाभिलेखी में भी गया है। विवेका अपना सम्पूर्ण जिल्ला क्षेत्र को इस विवेक विवेक द्वारा विवेक कर रहा है विवेका उपरिखत सम्पूर्ण भूमि को मालिक, कर्णित व प्राविन है एवं वर्तमान समय में जल भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि एकलक भूमि या जिल्ला नहीं है। यह कि विवेका यह घोषित कर रहा है कि उत्तरांचल गवर्नामन्ट भूमि सभी प्रकार के और दो गुस्त एक पाक व सफ है तथा विवेका ने इसे इस

सामयान्त

13 JAN 1957

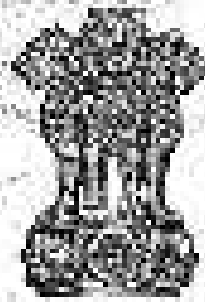


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

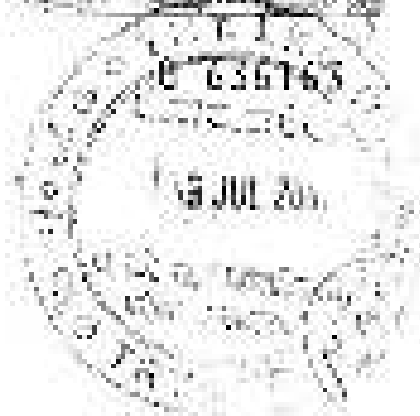


सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

विक्रम के पूर्व नहीं बच, भेदा, गिरवी या अनुमोदित इत्यादि नहीं किया है।
विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि जंग या अन्य प्रकार का कोई काम नहीं
किया है। यदि कोई ऐसा काम भविष्य में निकलता है तो उसके विप्रेतार
विक्रेता व उसके अधिभूत व विभिन्न उत्तराधिकारी होंगे। अधिभूत भूमि या
उक्त कोई काम किसी न्यायस्थ या सरकार के अधीन होने पर
न कोई विषय नहीं है, न ही कोई इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त
भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, एक या ज़्यादा इत्यादि नहीं है, एवं
विक्रेता को उक्त विक्रय अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः

20/11/2011

Dr. Pankaj K. Singhania

20/11/2011

उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु. 10,03,300/- के प्रतीक में जिसका उपरोक्त डेटा द्वारा विक्रेता की इस लिखित से अन्त में की गई अनुसूची में वर्णित विधि से अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्रति को विक्रेता पर खींचकर करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त डेटा के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, निम्नलिखित इस निम्न विशेष के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, जो कर्तव्य रूप दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयभूत भूमि का पीछे गर करना केता को पक्षी कर दिया गया है। अब उक्त आशय पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयभूत सम्पत्ति को अपने स्वमित्र के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए डेटा की अन्तर्गत कर दिया है। अब केता विक्रयभूत सम्पत्ति एवं उसके सम्पत्ति का अपने एकमात्र स्वमित्र व अधिकार न करने में सम्पत्ति के रूप में लागू एवं उपयोग व उपयोग करने । विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अडगन तथा नहीं कर सकते एवं न ही कोई गान कर सकते और यदि विक्रयभूत सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के सम्पत्ति में भुटि के कारण या कानूनी अडगन या कानूनी भुटि के कारण केता या उसके वारिसान निषेधकान्त कानूनी के कानूनी या अधिकार या स्वतः से निष्का जाये तो डेटा उसके वारिसान, निषेधकान्त इत्यादि को वह अब होगा कि वह अन्त सम्पत्ति भुक्तान न्य कर्ता व कानूनी, विक्रेता को घत, अथवा सम्पत्ति से ज़रिये अगलान वसूल कर लें। आ विधि में विक्रेता एवं उसके वारिसान कर्ता व कानूनी देने लें वाच्य होगा ।

रामपुत्र

12/03/2021
12/03/2021

यह कि विवेक यह भी धोखा करता है कि जब भूमि सार्वजनिक विद्यालय शिक्षण, सार्वजनिक तथा उच्चतर अध्ययन एवं विद्यालय परिवार, सार्वजनिक तथा अन्य किसी भी सार्वजनिक वास्तव्य और सार्वजनिक संस्था द्वारा अधिप्राप्त नहीं की गयी है और न ही प्राप्तिका है।

यह कि केवल विद्यार्थियों सम्पत्ति को वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयों में अपने नाम कर कर ले ले विवेक को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विवेक विवेक को चुन कर अगर कोई कदाचित् किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर पड़े तो उसको विवेक भुगतान व बहन करेंगे, विवेक को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त अलग नम्बर ग्राम हसनपुर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र के विवेक ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित दरिया २८ रु० 13,75,000/- प्रति हेक्टर है चूंकि भूमि का विक्रय वन्दन के पक्ष में हो रहा है इसलिए 25 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रु० 17,18,750/- के हिसाब से विवेक भूमि 0.254 हेक्टर की गणित्या रु० 4,36,563/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की वास्तविक मूल्य से अधिक है इसलिए निम्नानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 1,00,400/- वास्तविक मूल्य अथवा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विवेक भूमि कृषि के उपयोग के लिए कृषि की जा रही है। भूमि में कोई भी हानि नहीं है तथा किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं कर रही है तथा 200 मीटर के अव्यवस्था में कोई निर्माण नहीं है विवेक भूमि किसी भी प्रकार, राज्य के व जनपदीय नगर पर नियंत्रण नहीं है। विवेक भूमि सुल्तानपुर रोड में व अन्तर शरीर पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

सुल्तानपुर

Attest Properly & Seal

 Officer in Charge

486



25. 25.00

212



— 425 —

4-2017-2018



6/22/2013

9429

विजेता अनुसूचित जाति लक्ष्मी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।
 इस विजेता विजेता के निष्पक्षता का समर्थन रूप में देता है।
 है।

लिखित यह विवरण पर विजेता ने देता के पक्ष में लिख दिया ताकि
 सत्य रहे और अनुसूचित जाति पर काम आवे ।

परिशिष्ट: कुलान विवरण

1. विजेता के रु० 10,00,000/- काय रोक रोकवा 5 8 5 6 8।
 दिनांक 06.07.2007 पनाम निरन्तर बैंक, लखनऊ लखनऊ
 देता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विजेता को कुल विवरण रु० 10,00,000/-
 (दस लाख बीस हजार बीस ही मात्र) केवल से प्राप्त हुए बिना
 प्राप्ति विजेता रोकवा करते हैं तथा अन्य कोई जानकारी विजेता को देती में
 देता शेष नहीं है।

समस्त:

दिनांक : 06.07.2007

गवाह विजेता की पहचान की

1. धर्मेश कुमार के पुत्र
 पता - देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर
 पता - देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर
 पता - देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

2. देता की पहचान की

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर
 दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर
 दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर
 दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

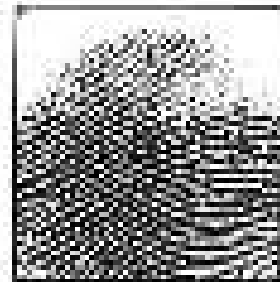
दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

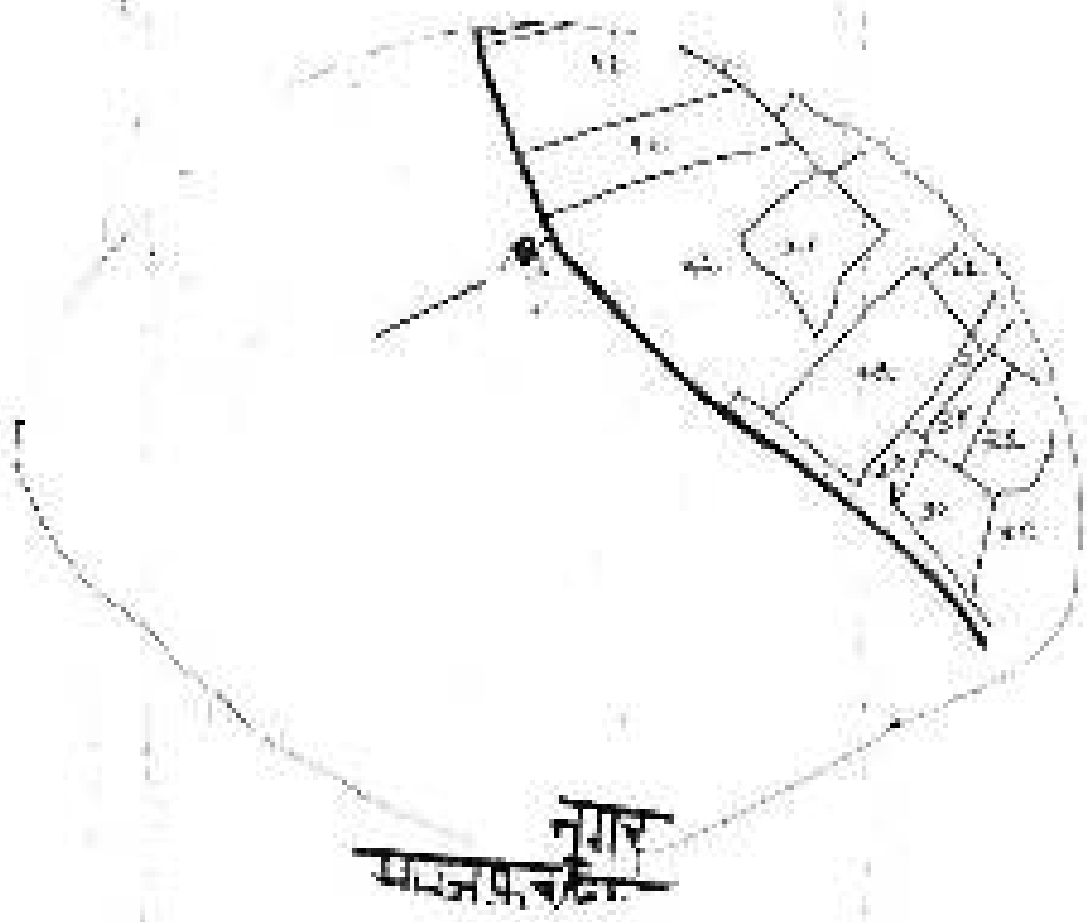
दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

दी देवा पुर, देवा पुर, देवा पुर

Page 41



श्रीगुरुभ्यो नमः

$$\overline{\delta \ln \rho} \approx 0.14^{\circ}$$


2/14/15

1934

Approved for Release by NSA on 08-25-2014 pursuant to E.O. 13526

PhAT

200

Author's Name: Dr. M.

Year: 2005

Page No.

- 0201 अथवा 0202 या दोनों में से एक प्रश्न उत्तर दें।
कौन सा अधिक उचित है?
प्रश्न 0201 का उत्तर दें।
प्रश्न 0202 का उत्तर दें।



राजस्त्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन
हेतु किंग्स प्रिन्टर्स

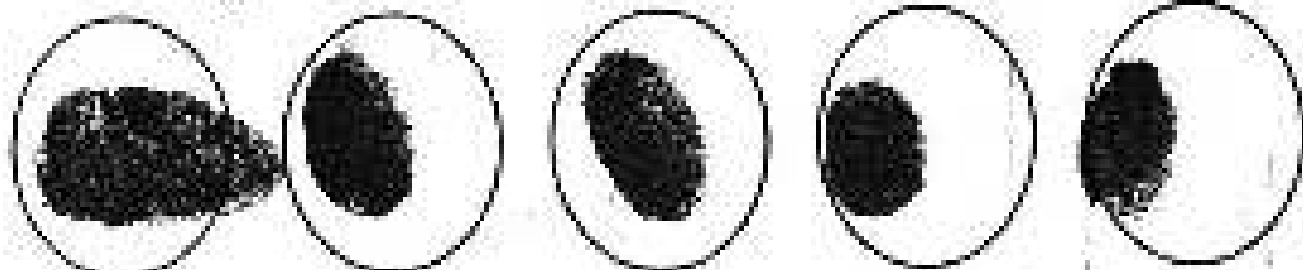
प्रस्तुतकर्ता/विषयज्ञ का नाम व पता :-

2014 07 07 17:0

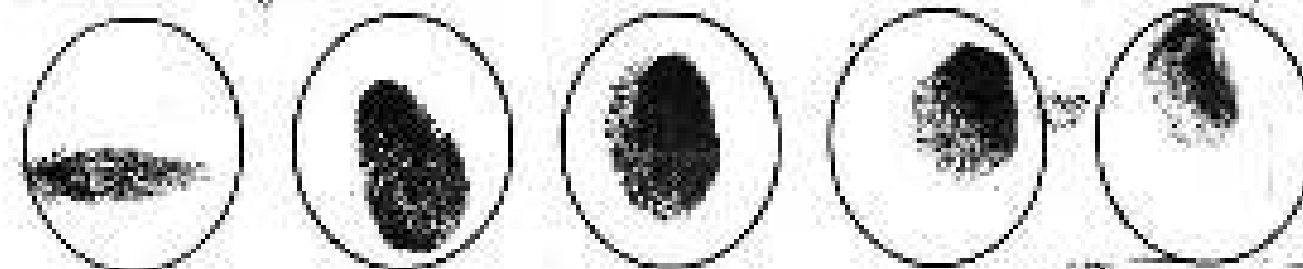
5000

△△△△△

इसके अलावा के अंगुलियों से चिन्त :-



वाहिनै लाभ के अङ्गुष्ठियों के चिन्ह :

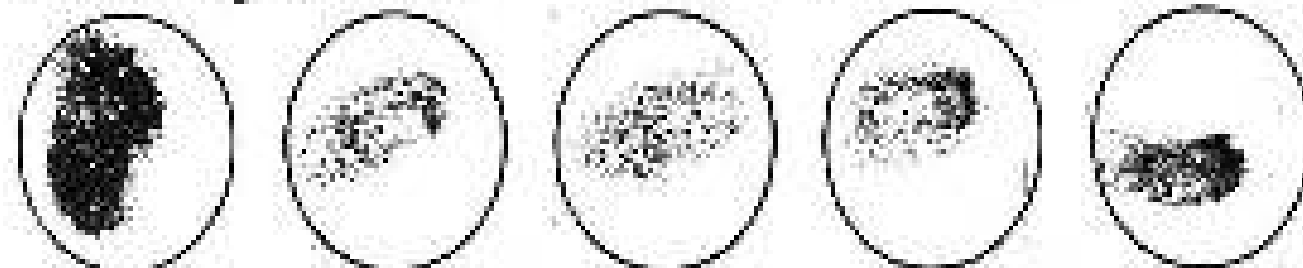


प्रत्युक्तों/विद्येता/वेला के कलाश्रम

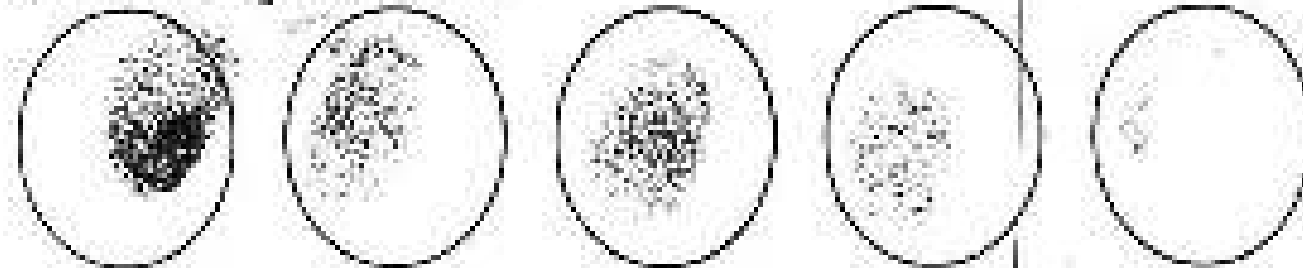
विद्यार्थी/विद्यार्थी का नाम व पता :-

12

दार्शनिकों की अंगुष्ठियों के विचार :



दाँड़ने काव के अंगुलियों के निम्न :



...and the *Journal of Management Education* 1991

निर्देशन / काम के लिए

...and the

आज दिनांक 06/07/2007 को

वर्ग में 1 शिक्षक में 8035

पृष्ठ नं. 169 से 194 तक कांक 6435

नोटिफिकेट किया गया।

एच के पाण्डेय

उप निबंधक (प्रशिक्षण)

लखनऊ

16/7/2007

